

28⁰⁸/₂₄

सकील वादी प्रथी वक्तुलाय फरीकन
उपस्थित/अनुपस्थित/श्रीमान पोटासीन
अधिक-से महोदय वेर पधारे है
पर है! अतः पत्रवली वास्ते पुकी
दिनांक 12-09-24 का पत्र हो

12⁰⁹/₂₄

सकील वादी प्रथी वक्तुलाय फरीकन
उपस्थित/अनुपस्थित/श्रीमान पोटासीन
अधिक-से महोदय अवकारा पर है
पर है! अतः पत्रवली वास्ते पुकी
दिनांक 15-10-24 का पत्र हो

15¹⁰/₂₄

आज यह पत्रवली परा डर वकील
प्राची अर्थात् तर मुलायम रिपोर्ट
अर्थात् उन्हे जाल रिपोर्ट पत्रवली
दिनांक 14.11.24 का पत्र हो

14.11.24

सकील वादी प्रथी वक्तुलाय फरीकन
उपस्थित/अनुपस्थित/श्रीमान पोटासीन
अधिक-से महोदय उन्हे जाल है /
पर है! अतः पत्रवली वास्ते पुकी
दिनांक 15/11/24 का पत्र हो

18¹²/₂₄

आज यह पत्रवली प्राची द्वारा जरी
वकील प्राचीन पत्र पत्रवली ताल
पर पेश हुआ वकील प्राची उपस्थित
तदर्थीक डार मुलायम रिपोर्ट प्राप्त
हमने प्राची वकील को सुना जरा हो
उन्हेने अवगत करा कि न्याय
1272, 1273, 1276, 1279, 1280,
1283 वाले माम उहे ल वकील मुलायम
में लिखल हे जिनके प्राची जरा समझ
रखते में लहे लिखल वे वास्तविक ही

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (करतपुर) वक

किन्तु राजस्व रिकार्ड जमावदी में प्राचीनता की
जाति जाट के स्थान पर मीणा दर्ज हो गई है
जिससे प्राचीनता के राज्य व केन्द्र सरकार
की सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित
होना पड़ रहा है। पहचानि वतमान जमावदी
संवत् 2075 से 2078 में जालत है तथा संवत्
2071 से 2074 में प्राचीनता की जाति जाट
भंडित है जो सही है।

हमने तहसील डाल हुकम द्वारा प्रस्तुत
रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तो उसके मुताबिक
अवगत कराया कि प्रेसलिट बंगों की जाति जाट किया
जाना उचित है हमने पत्रावली में प्रस्तुत इलाके की
रिकार्ड जैसे नवल जमावदी, आस, च्यापूर, झारैरी
का प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण, जन आधार
कार्ड आदि में जाति जाट भंडित है।

अतः उक्त के आधार पर हम प्राचीनता-पत्र
प्राचीनता स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्राचीनता पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील डाल
मुखवर को सौंपित किया गया है कि आंखंभ 1272,
1273, 1276, 1279, 1280, 1283 वाले ग्राम अटव
में प्राचीनता प्रेसलिट, रघुवीर, शिवलाल, मूरलिट
पुत्रान छोटेकाळे की जाति मीणा दर्ज है। अतः उक्त
प्राचीनता की जाति मीणा के स्थान जाट शुद्ध राजस्व
रिकार्ड किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2024 को मेरे द्वारा
लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली के खल सुभाल होकर नम्बर से कमठे
बाद तहसील जाकर दाखिल दफ्तर है।

(राधेश्याम मीणा)

उप-डायरेक्टर
भूसाधु (सामुदाय) राज.